13.10.20 | उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पदरिक्त है। अतः पत्रावली दि. 13.10.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13.10.20 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27.10 को पेश हो।

27.10.20 | उभय पक्ष उपस्थित [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.12.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.12.2 | उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन [illegible] कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29-1-21 को पेश हो।

रीडर

29.1.21 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया एंव पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार का जवाब एंव पटवारी हल्का लेसवा द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही, उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षो की बहस पर मनन किया, तहसीलदार मांडल पटवार हल्का लेसवा की [illegible] का अध्ययन किया। विवादित आराजी [illegible] पटवार हल्का लेसवा तहसील मांडल मे स्थित होकर [illegible] पिता मांगू नाबालिग माता [illegible] जाट खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पेशी या क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नकल संवत 2071-2074 से होती है, प्रस्तुत दस्तावेजो एव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम लादुलाल के बजाय पिन्टु नाम अंकित करवाना चाहती है। जिसकी ताईद आधार कार्ड की फोटो प्रति अंकतालिका की फोटो प्रति, परिवार का राशनकार्ड की फोटो प्रति मूलनिवास के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अन्य पिछडे वर्ग के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आदि से होती है उसी के अनुसार प्रार्थिया अपने पुत्र का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहती है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो।	

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, अत:

:: आदेश ::

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरगढ़, पटवार हल्का लेसवा तहसील-माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं. 59 मे आराजी नं. 128, 141 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बिस्वा एंव खाता सं. 18 मे आराजी नं. 116, 126, 127 कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, एंव खाता संख्या 17 मे आराजी नं. 172/1, 187, 311 कुल किता 03 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थिया के पुत्र का नाम लादुलाल के बजाय पिन्टु अंकित किये जाने का आदेश [illegible] उसी अनुसार भूमि प्रार्थिया के पुत्र के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार [illegible] रेकार्ड मे दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा